न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

पीठासीन अधिकारीः सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः 41/2022

निर्णय दिनांकः 23.12.2024

करतार सिंह पुत्र करना जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाबक तहसील नगर हाल तहसील सीकरी जिला डीग।

—— वादी

बनाम

1. रामा बेवा रामभरोसी जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाबक तहसील नगर हाल तहसील सीकरी जिला डीग।
2. श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय, भरतपुर (राज0) हाल जिला डीग।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब, नगर हाल तहसील सीकरी जिला डीग।

—— प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री ओम हरि, अधिवक्ता वादी।
2. श्री ललित अवस्थी अधिवक्ता प्रतिवादी।

निर्णय

यह वादपत्र वादी ने इस आशय का संस्थित किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 1558/0.40, 1557/0.34 बाके ग्राम डाबक तहसील नगर हाल तहसील सीकरी में स्थित है। हाल आराजी खसरा नंबर 1558/0.40 साविक आराजी खसरा नंबर 1396 रकवा 2 बीघा 12 विश्वा से एवं आराजी खसरा नंबर 1557/0.34 साविक आराजी खसरा नंबर 1397 रकवा 8 विश्वा व 1398 रकवा 1 बीघा 1 विश्वा से बना है। वादी के कब्जे काश्त खातेदारी का आराजी खसरा नंबर 1558/0.40 जो साविक खसरा नंबर 1396 रकवा 2 बीघा 12 विश्वा से बना है जो साविक के मुकाबले 0.02 है0 रकवा कम आया है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में आ.ख.नं. 1557/0.34 अंकित है जो साविक खसरा नंबर 1397 रकवा 8 विश्वा एवं 1398 रकवा 1 बीघा 1 विश्वा से बना है। प्रतिवादी संख्या 1 के हाल आराजी खसरा नंबर 1557/0.34 में जो नंबर 1397 रकवा 8 विश्वा है वह साबिक रिकार्ड में सिवायचक भूमि अंकित है, जो सार्वजनिक हित की है इस हाल नबंर में मुताबिक साबिक राजस्व रिकार्ड सिर्फ 0.17 रकवा ही उसका सही रूप में बनता है वादी ने 0.09 ऐयर रकवा पडोसियों की खातेदारी में से सेटिलमेन्ट कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम करा लिया है, साथ ही 8 ऐयर रकवा सिवाय चक न. 1397 का मिला दिया है जो सरासर गलत है जिसके बारे में न तो पटवारी हल्का ने ही उसके खिलाफ आर. एल. एक्ट की कार्यवाही की अनुसंन्शा की व न तहसीलदार साहब को ही इस बाबत रिपोर्ट पेश की। यह सारी कार्यवाही प्रतिवादी

नं. 01 ने व उससे पहले खातेदार मृतक जगन द्वारा गैर कानूनी तरीके से सैटिलमेन्ट कर्मचारियॉं से मिलकर अपने नाम करा लिया है अतः वादी के आराजी खसरा नबंर 1558/0.40 के रकवा को मुताबिक साविक रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 01 के नंबर 1557 में से 2 ऐयर रकवा कम कर 0.42 ऐयर करा पाने का अधिकारी है एंव साथ ही जो रकवा प्रतिवादी नं. 1 ने अपने नबंर 1557 में 0.08 ऐयर रकवा सिवायक चक को मिलाया है जो कि सार्वजनिक रूप से सम्पूर्ण गॉव के पशुओं के काम आता है को साबिक रिकोर्ड अनुसार सिवाय चक घोषित किया जावें। इस बाबत दावा पेश है। सैटिलमेन्ट कर्मचारियो को किसी भी साबिक इन्द्राज को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बदलने का कोई अधिकार नही है, अगर फिर वे बिना किसी सक्षम न्यायालय के इस तरह से रिकोर्ड में परिवर्तन करते है तो वह खिलाफ कानून है। जब दिनांक 20.09.2012 को वादी अपने खातेदारी के रकवा की देखभाल कर रहा था तो वहॉं पर प्रतिवादी नं. 1 व उसके वारिसानों वहॉं पर आये व वादी को ऐलानिया धमकी दी कि जो रकवा तेरे खातेदारी के नबंर का हमारे नाम हमने सैटिलमेन्ट कर्मचारियो से करा लिया है उस पर तुझे काश्त नही करने देगे उस रकवा को हम जबरदस्ती जोत कर अपने खेत में मिला लेगें अगर तू नही मानेगा तो हम इस रकवा को दीगर जगह रहन, वय, मुन्तकिल कर देगें, अगर प्रतिवादी अपनी उपरोक्त धमकी में कामयाव हो गया तो वादी को अपरमित क्षति होगी, नुकसान अजीम होगा जिसकी पूर्ती जरे नकद से नही हो सकेगी और वादी अपने जायज हको से वंचित रह जावेगा ऐसी सूरत में वादी प्रतिवादी को जारिए डिक्री हुकम इम्तनाई दवामी से पाबंद करा पाने का अधिकारी हैं।

यह है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें।

अ. वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1558/0.40 का रकवा मुताबिक साबिक रिकोर्ड 40 ऐयर की बजाय 42 ऐयर किया जावे एंव पडोसी प्रतिवादी नं. 1 के हाल आ. ख. नं. 1557/0.34 जो साबिक रिकोर्ड में 1 बीघा 1 विस्वा था उसमें बढे रकवा में से 2 ऐयर रकवा कम कर वादी के हाल नंबर 1558 में जोडा जावें एंव प्रतिवादी नं. 1 ने जो रकवा साबिक आ. स. नं. 1397 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा जो कि सिवाय चक रकवा है जो सार्वजनिक हित का है उसे भी प्रतिवादी नं. 1 अपने उक्त आ. ख. नं. 1557/0.34 में मिला लिया है उसे इससे अलग कर सिवाय चक घोषित किया जावें साबिक की तरह अलग नबंर कायम किया जावे ।

ब. प्रतिवादी सं. 1 के जारिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पांबद फरमाया जावें कि वह गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी ख. सं. 1557/0.34 के रकवा को वाद के निस्तारण तक कही रहन, वय, मुन्तकिल ना करें व वादी को भी उसके आ. ख. नं. 1558/0.40 के 2 ऐयर रकवा जिते प्रतिवादी नं. 1 के नबंर में गलत रूप से मिला दिया है उसे जोतने,बौने से ना रोके, मोका व राजस्व रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें एंव ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे हकूक वादी जायल हो।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से दिनांक 13.05.2014 को जबाब दावा पेश किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 03.10.2016 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रतिवादी ने आराजी खसरा नंबर 1557/0.34 बाके ग्राम डाबक को रमेश व गंगाश्याम, रघुवर पुत्र जगन जाति गूजर निवासी डाबक से जरिए रजिस्टर्ड वयनामा दिनां 21.01.2008 को क्रय किया है। वक्त वयनामा से प्रतिवादी संख्या 01 आराजी मुत0 पर काविज रहकर जोतती, बोती चली आ रही है, प्रतिवादीनी आराजी मुत. की बोनाफाइड परचेजर है, आराजी मुत. से वादी का कोई सरोकार नहीं है। वादी ने आराजी मुत. के संबंध में रमेश, गंगाश्याम, रघुवर पुत्र जगन को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है ऐसी सूरत में दावा वादी काबिले खारिज है। अतः दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा वादी एवं प्रतिवादी के जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गईः—

तनकी संख्या 01:— आया वादी आराजी खसरा नंबर 1558/0.40 का रकवा मुताबिक साविक रिकार्ड किया जावे अर्थात 0.42 है0 किया जावे ? —— जिम्मे वादी

तनकी संख्या 02:— आया वादी प्रतिवादीगण का ख.नं. 1557/0.34 जो साविक रिकार्ड में 1 बीघा 11 विश्वा था, बढे रकवे में से 0.02 है0 रकवा कम कर हाल ख.नं. 1558 में जोडा जावें? —— जिम्मे वादी

तनकी संख्या 03:— आया प्रतिवादी 1557 में से 0.34 है0 ग्राम में बदस्तुर है। इसमें तलील नहीं किया जावे? ——जिम्मे प्रतिवादी

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी करतार पुत्र करना का शपथ पत्र, गवाह रमन पुत्र छज्जू का शपथ पत्र, एवं प्रदर्श पी. 01 जमाबंदी संवत 2068—71 खाता संख्या 44, प्रदर्श पी. 02 जमाबंदी संवत 2068—71 खाता संख्या 484, प्रदर्श पी. 03 भू—प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श पी. 04 जमाबंदी संवत 2026 खाता संख्या 10, प्रदर्श पी. 05 जमाबंदी संवत 2026—29 खाता संख्या 74, पेश किये।

प्रतिवादी ने अपने समर्थन में प्रतिवादीनी रामा बेवा रामभरोसी जाति गुर्जर निवासी डाबक का शपथ पत्र, गवाह सुरेश पुत्र रामभरोसी जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाबक का शपथ पत्र एवं प्रदर्श डी. 01 असल वयनामा दिनांक 21.01.2008 पेश किये।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस बाबत वादपत्र सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 1558/0.40 दौराने सेटिलमेन्ट साविक आराजी खसरा नंबर 1396 रकवा 2 बीघा 12 विश्वा से कायम किया गया जिसमें मैट्रिक पद्धति के आधार पर 0.02 है0 रकवा कम दर्ज किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 का हाल आराजी खसरा नंबर 1557/0.34 साविक आराजी खसरा नंबर 1397 रकवा 8 विश्वा व 1398 रकवा 1 बीघा 1 विश्वा से बना है। उसमें बढे रकवा में से 2 ऐयर रकवा कम कर वादी के हाल नंबर 1558 में जोडा जावें एंव प्रतिवादी नं. 1 ने जो रकवा साबिक आ. स. नं. 1397

रकवा 1 बीघा 3 विस्वा जो कि सिवाय चक रकवा है जो सार्वजनिक हित का है उसे भी प्रतिवादी नं. 1 अपने उक्त आ. ख. नं. 1557/0.34 में मिला लिया है उसे इससे अलग कर सिवाय चक घोषित किया जावें साबिक की तरह अलग नबंर कायम किया जावे। वकील प्रतिवादी ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रतिवादिनी उक्त आराजी खसरा नंबर को दिनांक 21.01.2008 को जरिए रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया गया है जो कि वक्त वयनामा से अदिनांक तक रकवा 0.34 है0 है। वादी ने आराजी के विक्रेता रमेश, गंगाश्याम, रघुवर पुत्र जगन को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है अतः दावा वादी काबिले खारिज है।

उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत पत्रावली एवं जबाब दावा, दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया, अतः प्रकरण में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है तथा प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है।

तनकीवार निर्णयः—

तनकी संख्या 01:— आया वादी आराजी खसरा नंबर 1558/0.40 का रकवा मुताबिक साविक रिकार्ड किया जावे अर्थात 0.42 है0 किया जावे ?
——— जिम्मे वादी

तनकी संख्या 02:— आया वादी प्रतिवादीगण का ख.नं. 1557/0.34 जो साविक रिकार्ड में 1 बीघा 11 विश्वा था, बढे रकवे में से 0.02 है0 रकवा कम कर हाल ख.नं. 1558 में जोडा जावें?
——— जिम्मे वादी

चूंकि दोनों तनकी का तय बिन्दू एक ही है अतः दोनों का निर्णय एक साथ लिखा जाना उचित हैः—

वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी. 01 हाल जमाबंदी, प्रदर्श पी. 03 भू—प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श पी. 04 जमाबंदी संवत 2026—29 खाता संख्या 10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी का आराजी खसरा नंबर 1558 साविक आराजी खसरा नंबर 1396 रकवा 2 बीघा 12 विश्वा से बना है। चूंकि नवीन मैट्रिक पद्धति में 2 बीघा 12 विश्वा के 0.416 है0 बनता है जबकि दौराने सेटिलमेन्ट वादी का नवीन खसरा नंबर का रकवा 0.40 है0 दर्ज किया है। जोकि साविक के मुकाबले 0.016 है0 कम है एवं हाल आराजी खसरा नंबर 1557 साविक आराजी खसरा नंबर 1397 व 1398 से बना है। हाल आराजी खसरा नंबर 1557/0.34 साविक आराजी खसरा नंबर 1397 रकवा 1 बीघा 3 विश्वा एवं साविक आराजी खसरा नंबर 1398 रकवा 1 बीघा 1 विश्वा से बना है। जिनका मैट्रिक पद्धति के आधार पर रकवा 0.352 है0 बनता है जबकि हाल रकवा 0.34 है0 बना है जो कि साविक के मुताबिक 0.012 है0 कम है। अतः तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में वादी असफल रहा है।

तनकी संख्या 03:— आया प्रतिवादी 1557 में से 0.34 है0 ग्राम में बदस्तुर है। इसमें तलील नहीं किया जावे?
———जिम्मे प्रतिवादी

वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी. 02 जमाबंदी संवत 2068—71 खाता संख्या 484, एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श डी. 01 असल वयनामा दिनांक 21.01.2008 के अवलोकन से ज्ञात

होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आराजी खसरा नंबर 1557 को जरिए रजिस्टर्ड वयनामा कय किया गया है। हाल आराजी खसरा नंबर 1557 साविक आराजी खसरा नंबर 1397 व 1398 से बना है। साविक आराजी खसरा नंबर 1397 रकवा 1 बीघा 3 विश्वा जो सेटिलमेन्ट से पूर्व सिवायचक दर्ज था एवं साविक आराजी खसरा नंबर 1398 रकवा 1 बीघा 1 विश्वा जो जगन वल्द हुकम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड था। भू—प्रबंध विभाग ने दौराने सेटिलमेन्ट उक्त दोनों नंबरों से नया नंबर 1557 रवा 0.34 कायम किया। हाल आराजी खसरा नंबर 1557/0.34 साविक आराजी खसरा नंबर 1397 रकवा 1 बीघा 3 विश्वा एवं साविक आराजी खसरा नंबर 1398 रकवा 1 बीघा 1 विश्वा से बना है। जिनका मैट्रिक पद्धति के आधार पर रकवा 0.352 है0 बनता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 01 ने हाल आराजी खसरा नंबर 1557 को जरिए रजिस्टर्ड वयनामा कय किया है। वादी ने दौराने बन्दोबस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्तकारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। अतः वादी विरूद्ध प्रतिवादी कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के पक्ष में साबित होती है।

अतः वाद पत्र की बाबत उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत पत्रावली, जबाब दावा व दस्तावेजी साक्ष्य एवं तनकीवार विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादी अपने वाद—पत्र को साबित करने में असफल रहा है अतः दावा वादी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग)

डिक्री व मुकदमें इब्तनाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

पीठासीन अधिकारीः सृष्टि जैन (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांकः 23.12.2024
वाद संख्याः 41/2022

करतार सिंह पुत्र करना जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाबक तहसील नगर हाल तहसील सीकरी जिला डीग। ——— वादी

बनाम

1. रामा बेवा रामभरोसी जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाबक तहसील नगर हाल तहसील सीकरी जिला डीग।
2. श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय, भरतपुर (राज0) हाल जिला डीग।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब, नगर हाल तहसील सीकरी जिला डीग।

——— प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई, रू–ब–रू हमारे बहाजरी श्री ओमहरि अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री ललित अवस्थी पेश मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि वादी अपने वाद–पत्र को साबित करने में असफल रहा है अतः दावा वादी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जाता है। डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.12.2024 को जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग)